

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
 संख्या-4/टी(1)/मृ030/को०१०/०९/२०२३/

लगानुकार: दिनांक: २९/११/२०२३

// कार्यालय छाप //

स्व० श्री राजेश कुमार पाण्डेय, पामारीराट, अधिकारी, आजमगढ़ की मृत्यु दिनांक 26.02.2021 के सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके अधिकृत पुत्र श्री सुमित कुमार पाण्डेय की वियुक्ति मृतक अधिकृत के रूप में मृतक अधिकृतों की भर्ती रोका-वियावाली १९७४, यथा संशोधित अधिकार्यम्, ३०प्र० शासन, विकित्सा अनुभाग-४ के प्रावक्ती सं०-५-४०९९/९०१/२०२२-४-१/३६८६४७/२०२३, दिनांक 14.०८.२०२३ के रूप में एवं कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-६/II (III), दिनांक २७.१२.२०२२, द्वारा प्रारूपित "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के अधिकृत की भर्ती तिहरवां संशोधन) वियावाली २०२२" में विहित प्राविधान के अन्तर्गत निदेशक (प्रिमिंटिकल), स्वास्थ्य रोका गहानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या-४/टी(2)/मृ030/वि०/२०२३/१६९५, दिनांक- ३१.१०.२०२३ की गयी संस्तुति एवं सुरुच्य विकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या- मृ०प्र००३०/मृ०३०/०२०२३-२४/७३७, दिनांक- २१.०९.२०२३ तथा प्रकरण में किये गये अन्य प्राचाराएवं उपलब्ध कराये गये अधिकारियों को दृष्टिगत रखते हुए सुरुच्य विकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ के अधीन रिक्त कविष्ठ सहायक के पद पर घेतन वैष्ण रु ५२००-२०२०० एवं घेंड घेतन रु०-२०००/- (घुनरीछेत घेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भल्ता व अन्य भल्तों सहित अल्पाधीन रूप में "उत्तर प्रदेश, विकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक दर्गीय सेवा वियावाली-१९९४" के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन वियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह वियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह वियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भल्ता व अन्य भल्तों सहित अल्पाधीन रूप में "उत्तर प्रदेश, विकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक दर्गीय सेवा वियावाली-१९९४" के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन वियुक्ति प्रदान की जाती है:-
3. यह वियुक्ति योगदान की तिथि से माव्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भल्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ सुरुच्य विकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा :-
 - (क) हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाधार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
 - (घ) मुर्छ्य विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।
 - (ङ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
 - (च) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
5. यह वियुक्ति ३०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तिहरवां संशोधन) वियावाली-२०२२, कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-६/II (III), दिनांक २७.१२.२०२२ में विहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए वियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०आ००५०ए०सी० सोसासी द्वारा प्रदत्त री०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वाया उसके समकक्ष माव्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में २५ शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामाव्य वार्षिक घोषणा के लिए उसे एक वर्ष की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी चतुर्थ श्रेणी के पद पर वियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई वियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई वियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह वियुक्ति समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
6. यह वियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्री सुमित कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० राजेश कुमार पाण्डेय अपने परिवार के अन्य अधिकृतों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

AM
FCL
P.M.

DR. Shipra | T cell

11/१८६७९
०५/१२/२२

7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह रोकायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मूल्य/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को गूल प्रगति पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे साक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अविवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जायें।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, ने निर्दित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री सुमित कुमार पाण्डेय की हिन्दी काम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह अक्टूबर, 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के साक्षम अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृष्ठ के निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के साक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्री सुमित कुमार पाण्डेय द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विघलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें खत: समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री सुमित कुमार पाण्डेय के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डा० राजागणपति आर०)

आई०ए०ए०स०

निदेशक (प्रशासन)

संख्या- 4डी(1)/म०आ०/क०स०/०९/२०२३/ ६८५६ - ५७ तदनिंक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कारी) उ०प्र०० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, ३०प्र०० शासन विकित्सा अनुभाग-४
3. वित्त नियंत्रक, विकित्सा एवं स्वास्थ्य, ३०प्र००।
4. निदेशक (पैरामेडिकल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक (विकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ३०प्र००, लखनऊ को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड हेतु।
6. अपर निदेशक, विकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
7. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य विकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिल्ड संख्या-०५, ०६, ०७, ०८, ०९ एवं ११ पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी आजमगढ़।
10. श्री सुमित कुमार पाण्डेय पुत्र ख्य० राजेश कुमार पाण्डेय, फार्मासिस्ट अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, नन्दौव, आजमगढ़ अधीन मुख्य विकित्सा अधिकारी, आजमगढ़, निवासी ग्राम- बौहान, पोस्ट- कोटखास, थाना-छपिया, तह० मनकापुर, जनपद- गोण्डा। (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

८/२८.११.२०२३

(डा० रंजना खरे)

अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)

7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोबों केव्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्ण में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में विहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री अभिषेक कुमार यादव पुत्र स्व0 कमलावती देवी, सिस्टर, पं0 कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय, चंदौली की हिन्दी कग्गूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह सितम्बर 2024 के अंतिम कार्यादिवास में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्बन्ध किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से विर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु वियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्री अभिषेक कुमार यादव द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उक्तकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री अभिषेक कुमार यादव के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
13. उक्त आदेश स्व0 कमलावती देवी, सिस्टर, पं0 कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय, चंदौली का विलय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चंदौली में विलय होने के कारण विर्गत किये जा रहे हैं।

(डा० राजागणपति आर०)

आई०ए०ए०स०

निदेशक (प्रशासन)

संख्या-4डी(1)/मृ०आ०/क०स०/२३/२०२३/ ६१७५-४७ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी) ३०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, ३०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
3. निदेशक (उपचारिक), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ३०प्र०, लखनऊ।
4. वित नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ३०प्र०।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चंदौली।
6. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी।
8. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंदौली को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि विन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९ एवं ११ पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चंदौली।
11. श्री अभिषेक कुमार यादव पुत्र स्व0 कमलावती देवी, सिस्टर, पं0 कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय, चंदौली, निवासी-ग्राम-बुदैग, पोर्ट-मुहम्मदल्ला सदर, जनपद-आजमगढ़। (पंजीकृत डाक द्वारा)
12. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, चंदौली को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फ़ाइल।

(डा० रजनी आर०)
अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
संख्या-4डी(1)/मृ०आ०/क०८०/ ११/२०२३ / लखनऊ: दिनांक: २८/११/२०२३

// कार्यालय ज्ञाप //

स्व० श्री राम किशोर, सफाई कर्मचारी, अधीन प्रगुण अधीक्षक, लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर की मृत्यु दिनांक 11.01.2023 को रोगाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्र श्री शुभम शर्मा की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती रोगा-नियमावली 1974, यथा संशोधित अधिनियम/उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-४ के पत्रावली सं०-६-४०९९/९०१/२०२२-४-१/३६८६४७/२०२३, दिनांक 14.08.2023 के अनुसार एवं कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI (II), दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्रारूपित "चत्तर प्रदेश रोगाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2022" में निहित प्राविधान के अन्तर्गत नियंत्रक अधिकारी/प्रगुण अधीक्षक, लाला लाजपत राय सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर के पत्र संख्या-११२२/प्र०३०/ला०ला०रा०/मृ०आ०/२०२३, दिनांक 24.08.2023 एवं पत्र संख्या-१७९२/मृ०आ०/ला०ला०रा०/२०२३, दिनांक 09.11.2023 द्वारा की गयी संस्तुति कि मृतक का पद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का है एवं प्रकरण में किये गये अन्य पत्राचार उपरांत उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर नगर विलय जी०ए०सी०१०ए०८० मेडिकल कॉलेज, कानपुर नगर में हो जाने के फलस्वरूप स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर के अधीन रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैण्ड रु० ५२००-२०२०० एवं ग्रेड वेतन रु०-२०००/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों राहित अस्थायी रूप में अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और विना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा:-
 - (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
 - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भाँति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
 - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।
 - (ङ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
 - (च) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
5. यह नियुक्ति उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेरहवां संशोधन) नियमावली-२०२२, कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI (II), दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और प्रवीणता अनिवार्य अहंता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०आ०ई०ए०सी० सोसासटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में २५ शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
6. यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्री शुभम शर्मा पुत्र स्व० श्री राम किशोर परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परियार के किसी अन्य सादर्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। राष्ट्र ही साथ वांछित/अनिवार्य ऐशिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवरथानुसार एक वर्ष के भीतर श्री शुभम शर्मा की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह अक्टूबर 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय रत्तर पर गठित समिति के समक्ष अनुदेशक/विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक रास्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद रत्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
11. राजनीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल रत्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।
13. यदि भविष्य में श्री शुभम शर्मा द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें रवतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री शुभम शर्मा के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
14. श्री शुभम शर्मा “उत्तर प्रदेश, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-1994” से अच्छादित रहेंगे।

(डा० राजागणपति आर०)

आई०ए०एस०
निदेशक (प्रशासन)

संख्या-४डी(१)/म०आ०/क०स०/११/२०२३/ ६३०७ - १४

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कारी) उ०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
7. प्रमुख अधीक्षक, लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुरनगर को इस आशय से कि श्री शुभम शर्मा पुत्र र्व० राम किशोर, सफाई कर्मचारी से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली की छायाप्रतियां प्रमाणित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुरनगर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर को निर्दिष्ट निर्देशानुसार अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि विन्दु संख्या-०६, ०७, ०८, ०९, १० पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की दशा में उनकी एक-एक प्रति र्वहस्ताक्षरित करते हुए विशेष पत्रवाहक के माध्यम से मूल पत्रावली में रक्षित कराये जाने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
10. श्री शुभम शर्मा पुत्र र्व० राम किशोर निवासी-१८०/४५४ शेखपुर पोस्ट सिंगरौसी जिला उन्नाव को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर से संपर्क स्थापित करें। (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर संबंधित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

28.11.2023

(डा० रंजना खरे)
अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
संख्या-4डी(1)/मृ०आ०/188/2019/

लखनऊ: दिनांक २१/११/२०२३

// कार्यालय ज्ञाप //

रचो श्री राजकुमार ओ०टी० अटैन्डेन्ट (वर्तुर्ण श्रेणी) रामगुदागिक खारथ केन्द्र जलेश्वर, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा की मृत्यु दिनांक 05.01.2018 को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्र श्री रिषभ वर्मा, निवासी-ग्राम असरौली, जिला एटा (उ०प्र०), की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली 1974 रथा संशोधित अधिनियम, उ०प्र० शारान, चिकित्सा अनुभाग-४ के पत्रावली सं०-५-४०९९/९०१/ २०२२-४-१/३६८६४७/२०२३, दिनांक 14.08.2023 के क्रम में एवं कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI(II) दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्राप्त्यापित "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली 2022" में निहित प्राविधान के अन्तर्गत नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा की संस्तुति पत्र संख्या-री०एम०ओ०/मृतक आश्रित/आ०००/क०स०/२०२३/१२३६४, दिनांक 20.10.2023 एवं पत्रांक- री०एम०ओ०/मृतक आश्रित/२०१९/५४४५, दिनांक 22.06.2019 द्वारा प्रेषित सूचना, प्रमाण पत्र एवं उनके समर्थन में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री रिषभ वर्मा, निवासी-ग्राम असरौली, जिला एटा (उ०प्र०) को मृतक आश्रित के रूप में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा में कनिष्ठ सहायक (परिधिगत संवर्ग) के रिक्त पद पर वेतन वैष्ण रु० ५२००-२०२०० एवं ग्रेड वेतन रु०-२०००/- (पुनर्नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में, समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में "उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, खारथ एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-1994" के अन्तर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अरशाई है और विना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महगाई भत्ता व अन्य भत्तों देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा के समक्ष उपरिथित होकर निम्नलिखित अभिलेखों/साक्ष्यों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा :-
 - (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
 - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वरक्ष्यता प्रमाण पत्र।
 - (ङ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
 - (च) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
5. यह नियुक्ति उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली-2022, कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI (II) दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०इ०ए०सी० सोसास्टी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में २५ शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

✓



6. यह नियुक्ति इस प्रतिवन्ध के साथ दी जाती है कि श्री रिषभ वर्मा, अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पौष्ण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह रोवायोजन निष्पापावी गाना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के बिना अन्य रादर्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ चाहित/अनुदेशक/विषेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक रांगथान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री रिषभ वर्मा, की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह नवम्बर 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय रत्तर पर गठित समिति के समक्ष, अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक रांगथान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है।

उक्त परीक्षा जनपद रत्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिसकी सूचना नियंत्रक अधिकारी द्वारा टंकण परीक्षा की तिथि से सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।
13. यदि भविष्य में श्री रिषभ वर्मा, द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें खत: समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री रिषभ वर्मा, के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
14. श्री रिषभ वर्मा, "उत्तर प्रदेश, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय)," लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-1994, से आच्छादित रहेंगे।

(डा० राजागणपति आर०)

आई०ए०ए०स०

निदेशक (प्रशासन)

संख्या-४डी(१)/मृ०आ०/१८८/२०१९/ 6834-५५ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी) उ०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
6. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), रवास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९ एवं ११ पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एटा।
9. श्री रिषभ वर्मा, पुत्र स्व० श्री राजकुमार, निवासी-ग्राम असरौली, जिला एटा (उ०प्र०),। (पंजीकृत डाक द्वारा)
10. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, एटा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर सम्बन्धित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

RK
29.11.2023

(डा० रजना खरे)

अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ३०प्र०, लखनऊ।

संख्या-४डी(१)/२०२२/मृतक आश्रित/२०२२/

लखनऊ: दिनांक: २३/११/२०२३

// कार्यालय ज्ञाप //

दिनांक ०६/०१/२०२० को कर्तव्यपालन के दोरान २६ बटालियन एरा०एस०बी० रॉयी (झारखण्ड) डैपुटेशन-एन०एस०जी० के शहीद जवान ११०८७०४९०९(यू०आई०एन-१५०३०६) रूपेश कुमार पुत्र स्व० विजेन्द्र सिंह निवासी-ग्राम व पोस्ट बरामई तहसील सादाबाद जनपद हाथरस उत्तर प्रदेश की आश्रित पल्ली श्रीमती नीतू सिंह की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती रोपा-नियमावली १९७४, यथा रांशोधित अधिनियम, ३०प्र० शारान, विकित्सा अनुभाग-४ के पत्रावली सं०-५-४०९९/९०१/ २०२२-४-१/३६८६४७/२०२३, दिनांक १४.०८.२०२३ के क्रम में एवं कार्बिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/वी०सी०-८१ (II), दिनांक २७.१२.२०२२, द्वारा प्राख्यापित “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली २०२२” में निहित प्राविधिक के अन्वर्गत साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-१०६५के/छ:-सानिप्र-२०२२-१०(९५)/२०२१, दिनांक २६.०९.२०२२ के अनुपालन में जिलाधिकारी, हाथरस के द्वारा मुख्य विकित्सा अधिकारी, हाथरस को प्रेषित पत्रांक-५६३/जि०स००क०/नियुक्ति/२०२२, दिनांक २०.१०.२०२२ के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य विकित्सा अधिकारी, हाथरस के द्वारा इस महानिदेशालय को प्रेषित पत्रांक-मु०विय०३०/म०आ०नियु०/२०२२/३१०९, दिनांक २९.१०.२०२२ तथा प्रकरण में किये गये अन्य पत्रावार को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय मुख्य विकित्सा अधिकारी, हाथरस में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैण्ड रु० ५२००-२०२०० एवं गेड वेतन रु०-२०००/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमत्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्यायी रूप में “उत्तर प्रदेश, विकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-१९९४” के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमत्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्यायी रूप में “उत्तर प्रदेश, विकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-१९९४” के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-
 - हाईस्कूल/इण्टर्मीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 - अनिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।
 - संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
 - अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
- यह नियुक्ति ३०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी रोपकों की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली-२०२२, कार्बिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/वी०सी०-८१ (II), दिनांक २७.१२.२०२२ में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०८००१०सी० सोसासटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष माव्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में २५ शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-दृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेश्ट अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह वियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्रीमती नीतू सिंह पल्ली २६ बटालियन रॉयी(झारखण्ड) डैपुटेशन-एन०एस०जी० के शहीद जवान ११०६७०४९०९(यू०आई०एन-१५०३०६) रूपेश कुमार पुत्र स्व० विजेन्द्र सिंह निवासी-ग्राम व पोस्ट बरामई तहसील सादाबाद जनपद हाथरस उत्तर प्रदेश अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
- मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केवलीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यस्त् की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
- मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।

- कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्रीमती बीतू सिंह की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह अक्टूबर 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय स्तर पर गठित रामिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्बन्ध किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
- स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस रात्यापन करा लिया जाये।
- यह नियुक्ति पत्र जनपद/गण्डल स्तर के सकाम अधिकारी के प्रगाणित एवं अग्रारारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्रीमती बीतू रिंह द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख रांटिंग/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी रोगायी स्पतः रामात हो जायेगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रारारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्रीमती बीतू रिंह के विलुप्त कही कार्यवाही की जायेगी।

(डा० राजगणपति आर०)

आई०ए०ए०स०

निदेशक (प्रशाराव)

संख्या-४डी(१)/२०२२/मृतक आयोजन/२०२२/ ६२५५ - ५५ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ३०प्र० प्रयागराज।
- विशेष सचिव, ३०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
- वित्त वियंत्रक, विकित्सा एवं स्वास्थ्य, ३०प्र०।
- विदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड हेतु।
- अपर विदेशक, विकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
- संयुक्त विदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विदेशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
- मुख्य विकित्सा अधिकारी, हायरस को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि विन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९ एवं ११ पर वार्षिक अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताकृति प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी हायरस।
- श्रीमती बीतू सिंह पली २६ बटालियन रोडी(झारखण्ड) डेपुशेन-एन०ए०जी० के शहीद जवान ११०६७०४९०९(यू०आई०एन-१५०३०६) रुपेश कुमार पुत्र स्व० विजेन्द्र सिंह निवासी-ग्राम व पोस्ट बरामदौ तहसील सादाबाद जनपद हायरस। (पंजीकृत डाक द्वारा)
- पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिशनरेट, हायरस को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- गार्ड फाइल।

अग्री ११/१२/२०२३
संयुक्त विदेशक
(मुख्यालय परिधिगत)

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ३०प्र०, लखनऊ।
संख्या-४डी(१)/मृ०आ०/क०स०/०८/२०२३/

लखनऊ: दिनांक: २५/११/२०२३

// कार्यालय ज्ञाप //

स्व० डा० मेघराज रिंग, गणेश परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय (पुरुष), मुजफ्फरनगर की मृत्यु दिनांक १७.०४.२०२३ को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पत्नी श्रीमती आशा की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक अधिकारी की भर्ती रोपा-नियमावली १९७४, यथा संशोधित अधिनियम एवं ३०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-४ के पत्रावली सं०-५-४०९९/९०१/२०२२-४-१/३६८६४७/२०२३, दिनांक १४.०८.२०२३ के अनुसार एवं कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI (II), दिनांक २७.१२.२०२२, द्वारा प्रारूपापेत “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली २०२२” में विहित प्राविधिक के अन्वार्ता अपर निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अग्रसारित पत्र संख्या-१फ/३६९७/३६५२, दिनांक १७.१०.२०२३ एवं वियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरुष), मुजफ्फरनगर की संस्कृति पत्र संख्या-जि०वि०/पुरुष/मृ०आ०/स्व०डा०ए०म०आ०र०सिंह/२०२३-२२०२, दिनांक २२.०८.२०२३ एवं पत्र संख्या-जि०वि०/पुरुष/मृ०आ०/स्व०डा०ए०म०आ०र०सिंह/२०२३-२८७७, दिनांक ०१.११.२०२३ एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरुष), मुजफ्फरनगर में रिक्त कानिष्ठ सहायक के पद पर वेतन वैण्ड रु० ५२००-२०२०० एवं घेड वेतन रु०-२०००/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

१. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और विना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः विरस्त समझा जायेगा।
२. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
३. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय बही होगा।
४. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरुष), मुजफ्फरनगर के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा :-
 - (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
 - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बद्धी न हों।
 - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (इ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
५. यह नियुक्ति ३०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली-२०२२, कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI (II), दिनांक २७.१२.२०२२ में विहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अहता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में छी०आ००५०ए०सी०सी० सोसासी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में २५ शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अद्यतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि यहाँपरी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण बही करता है तो उसकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।

6. यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्रीमती आशा पति स्वरूप मेघराज सिंह, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय (पुरुष), मुजफ्फरनगर अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करती रहेंगी। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केवलीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन विष्णुभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्ण में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया जाये।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के श्रीमती आशा की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह अक्टूबर 2024 के अंतिम कार्यादिवस में महानिदेशालय स्तर पर गणित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है।
11. उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।
13. यदि भविष्य में श्रीमती आशा द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्रीमती आशा के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डा० राजागणपति आर०)
आई०ए०एस०
निदेशक (प्रशासन)

संख्या-4डी(1)/मृ०आ०/क०स०/०८/२०२३/ ६२९४ - ६३०५ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी) ३०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, ३०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ३०प्र०।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अपर निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
7. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में वियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरुष), मुजफ्फरनगर को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९ एवं ११ पर वांछित अभिलेख/आच्चा की एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
10. श्रीमती आशा पति स्वरूप मेघराज सिंह, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय (पुरुष), मुजफ्फरनगर, निवासी-बी-२ भीरवमपुर, जिला चिकित्सालय (पुरुष), मुजफ्फरनगर। (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

८५.११.२०२३

(डा० रजना अरे)
अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)

6. यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्री अभिषेक दीक्षित पुत्र स्व0 प्रेमलता दीक्षित परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. वृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री अभिषेक दीक्षित की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह अक्टूबर 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी। परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्री अभिषेक दीक्षित द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री अभिषेक दीक्षित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डा० राजागणपति आर०)

आई०ए०ए०

निदेशक (प्रशासन)

संख्या-४डी(१)/मृ०आ०/क०स०/१०/२०२३/ ६२३३ -५३ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर को निर्दिष्ट निर्देशानुसार अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि विन्दु संख्या-०६, ०७, ०८, ०९, १० पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की दशा में उनकी एक-एक प्रति स्वहस्ताक्षरित करते हुए विशेष पत्रवाहक के माध्यम से मूल पत्रावली में रक्षित कराये जाने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
9. श्री अभिषेक दीक्षित पुत्र स्व० प्रेमलता दीक्षित, निवासी-एल०आई०जी०-४५, से०-डी०, पी०डी० नगर, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर से संपर्क स्थापित कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त अपना प्रथम योगदान देना सुनिश्चित करें। (पंजीकृत डाक द्वारा)
10. पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिशनरेट, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

८५/११-२०३

(डा० रजना खरे)

अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-4डी(1)/मू०आ०/क०स०/23/2023

लखनऊ: दिनांक: 24/11/2023

आदेश

स्व० चन्द्रमा यादव, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेहरा मीरजापुर की मृत्यु दिनांक-20.06.2023 को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्र श्री अंकित यादव की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली 1974 यथा संशोधित अधिनियम, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-4 के पत्रावली सं-5-4099/901/2022-4-1/368647/2023, दिनांक 14.08.2023 के क्रम में एवं कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी०सी०-VI(II) दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2022” में निहित प्राविधिक के अन्तर्गत निदेशक (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के अग्रसारण पत्र संख्या-10फ/प्रयोग०सहा०/2023/725 दिनांक 02.11.2023 के साथ प्राप्त नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर की संस्तुति पत्र संख्या-मु०चि०आ०/मू०आ०नि०/2023-24/4894 दिनांक 16.10.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी मीरजापुर में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैंड रु०- 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु०-2000/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-3) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में “उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-1994” के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होती तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा :-
 - (क) हाईस्कूल/इंस्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
 - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र।
 - (ङ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
 - (च) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
5. यह नियुक्ति उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेरहवां संशोधन) नियमावली-2022, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/79-का-2-2022/टी०सी०-VI(II) दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अहता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०इ०ए०सी०सी० सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि वढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्री अंकित यादव पुत्र स्व० चन्द्रमा यादव, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेहरा मीरजापुर अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।



8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किरी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जाये कि वे समक्ष अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री अंकित यादव पुत्र स्वरूप चन्द्रमा यादव, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेहरा मीरजापुर की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा का तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्री अंकित यादव द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनके सेवावें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री अंकित यादव के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डा० राजागणपति आर०)
आई०ए०एस०
निदेशक (प्रशासन)

संख्या-४डी(१)/मृ०आ०/क०स०/२३/२०२३ / ६२८१-९२

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
4. निदेशक (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्यांचल धाम मण्डल, मीरजापुर।
7. संयुक्त निदेशक(मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर को उपरोक्त निर्दिष्ट निर्देशानुसार योगदान कराना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी मीरजापुर।
10. श्री अंकित यादव पुत्र स्वरूप चन्द्रमा यादव, मोहल्ला-डोमनपुरा सरकारी हास्पिटल के पास, पोस्ट-सिकन्दरपुर जिला-बलिया, पिन-कोड-277303 को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर से संपर्क स्थापित कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त अपना प्रथम योगदान देना सुनिश्चित करें।
11. पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिशनरेट, बलिया को इस आशय से प्रेषित श्री अंकित यादव पुत्र स्वरूप चन्द्रमा यादव, मोहल्ला-डोमनपुरा सरकारी हास्पिटल के पास, पोस्ट- सिकन्दरपुर जिला-बलिया, पिन-कोड-277303 का पुलिस सत्यापन कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

(संख्या-४डी(१)/मृ०आ०/क०स०/२३/२०२३)
अपर निदेशक
(मुख्यालय परिधिगत)

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-4डी(1)/मृ०आ०/क०स०/२३/२०२३

लखनऊ: दिनांक: २४/११ /२०२३

आदेश

स्व० अरविन्द कुमार यादव, चीफ फार्मासिस्ट अधीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर की मृत्यु दिनांक-23. ०८.२०१९ को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्र श्री आदित्य यादव की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली १९७४ यथा संशोधित अधिनियम, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-४ के पत्रावली सं-५-४०९९/९०१/२०२२-४-१/३६६६४७/२०२३, दिनांक १४.०८.२०२३ के क्रम में एवं कार्मिक अनुगाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI(II) दिनांक २७.१२.२०२२, द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेरहवां संशोधन) नियमावली २०२२" में निहित प्राविधान के अंतर्गत निदेशक (पैरामेडिकल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के अग्रसारण पत्र संख्या-४डी(1)/४२/विविध/चीफ फार्मा०/२०२३/१५८६ दिनांक १०.१०.२०२३ के साथ प्राप्त नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर की संस्तुति पत्र संख्या-८०९ दिनांक ०९.१०.२०२३ द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन वैष्ण रु०- ५२००-२०२०० एवं ग्रेड वेतन रु०-२०००/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में "उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-१९९४" के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा :-
 - (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
 - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र।
 - (ङ) संविधान के प्रति सत्त्वनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
 - (च) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
5. यह नियुक्ति उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेरहवां संशोधन) नियमावली-२०२२, कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI(II) दिनांक २७.१२.२०२२ में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अहंता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०५००१०सी०सी० सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ हिन्दी टंकण में २५ शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि वढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यमार्ग ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्री आदित्य यादव पुत्र स्व० श्री अरविन्द कुमार यादव, चीफ फार्मासिस्ट अधीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्पभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जाये कि वे समक्ष अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री आदित्य यादव पुत्र स्व0 श्री अरविन्द कुमार यादव, चीफ फार्मासिस्ट अधीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह में महानिदेशालय सार पर गणित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा का तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्री आदित्य यादव द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनके सेवाये स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री अंकित यादव के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ राजागणपति आर०)

आई०ए०एस०

निदेशक (प्रशासन)

संख्या-४डी(१)/मृ०आ०/क०स०/२३/२०२३ / ६२६० -७२

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
4. निदेशक (पैरामेडिकल), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
7. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर को उपरोक्त निर्दिष्ट निर्देशानुसार योगदान कराना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषधिकारी गाजीपुर।
11. श्री आदित्य यादव पुत्र स्व० श्री अरविन्द कुमार यादव, ग्राम-बरुहा, पो०-सराय गनेश, तहसील-घोसी, जनपद-मऊ को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर से संपर्क स्थापित कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त अपना प्रथम योगदान देना सुनिश्चित करें।
12. पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिशनरेट, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री आदित्य यादव पुत्र स्व० श्री अरविन्द कुमार यादव, ग्राम-बरुहा, पो०-सराय गनेश, तहसील-घोसी, जनपद-मऊ का पुलिस सत्यापन कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

१४-१-२०२४
अपर निदेशक
(मुख्यालय परिधिगत)